

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय

पत्रांक ..... /

पटना, दिनांक.....

सं० सं०-05/उ०नि० लोक लेखा 12/2015

प्रेषक,

संयुक्त उद्योग निदेशक,  
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

सेवा में,

महाप्रबंधक,  
जिला उद्योग केन्द्र, रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, प० चम्पारण, (बेतिया)  
गोपालगंज, पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी।

विषय : लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या 264 में कंडिका क्रमांक 09 में  
सन्निहित अनुशंसाओं का कार्यन्वयन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग निदेशालय के पत्रांक 3469 दिनांक 1611.17 का कृपया  
स्मरण किया जाय। उक्त पत्र द्वारा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या 264 में कंडिका  
क्रमांक 09 का अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गई है, जो अप्राप्त है। उक्त कंडिका में लोक  
लेखा समिति का अनुशंसा निम्नलिखित है। (1) प्रोफर्मा लेखा नहीं भेजने वाले पदाधिकारी पर  
उचित कार्रवाई की जाय। (2) प्रोफर्मा लेखा वर्ष 1980-81 से ही लंबित पड़ा हुआ है, जिसका  
निपटारा शीघ्र से शीघ्र किया जाय। (3) प्रोफर्मा लेखा का निपटारा विवरणी महालेखाकार  
कार्यालय को छः सप्ताह के अंदर अवश्य ही भेज दिये जाय।

अतः अनुरोध है कि लोक लेखा समिति के अनुशंसा के आलोक में बिन्दुवार  
अद्यतन अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

संयुक्त उद्योग निदेशक  
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक .....

पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :- उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त उद्योग निदेशक  
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1393

पटना, दिनांक 06.03.19

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड  
करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त उद्योग निदेशक  
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

5.3.2019